निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1935 (श०)

(सं० पटना 558) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जुलाई 2013

**वाणिज्य–कर विभाग**

———————

**अधिसूचना**

**12 जुलाई 2012**

सं० बिक्री–कर/विविध–43/2011–5441——बिहार मुल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन किसी परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए निम्न प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैंः–

2. **राज्य से होकर गुजरने वाले माल का परिवहन**–इस हेतु परिवहनकर्त्ता को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर ट्रांजीट पास के लिए ''सुविधा'' आईकॉन में T-TAN (Transporter Transaction Access Number) से संबंधित आईकॉन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही परिवहनकर्त्ता को अपने नाम, पता, प्राधिकृत व्यक्ति, पैन अथवा बैंक एकाउन्ट नम्बर, टेलिफोन नम्बर आदि विवरण को भरकर उक्त हेतु अपने आपको निबंधित करना होगा तथा उसे अपना पासवर्ड एवं security question and answer से चिन्हित करना होगा।

2.1 इसके पश्चात् परिवहनकर्त्ता को T-TAN संख्या आवंटित हो जाएगी एवं इसके बाद भविष्य में उन्हें वेब–साइट पर उसी लॉग–इन आई०डी० एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सुविधाजनित कर सकेंगे।

2.2 परिवहनकर्त्ता द्वारा विभागीय वेबसाईट पर मालों के आयात संबंधित Icon को Click करते हुए खुलने वाले फारम को भरा जाना होगा एवं इस फारम में वैसी सूचनाएँ ही विहित है जो वर्त्तमान के फारम D-VII में भरी जाती है। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत Submit Button Click करने पर उक्त फारम स्वतः विभागीय वेबसाईट/डाटा बेस में अपलोड हो जायेगी। ज्ञातब्य है कि यह सूचना राज्य में प्रवेश के पूर्व कभी भी एवं कही से भी अपलोड की जा सकती है,

2.3 सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनेरेट होगी जिसपर 16 अंको की विशिष्ट संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट परिवहनकर्त्ता द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने के दशा में भी कोई कठिनाई नहीं होगी,

2.4 राज्य में प्रविष्टि के जाँच चौकी पर ट्रक में लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंको की विशिष्ट पहचान संख्या चालक द्वारा जाँच चौकी पर पदाधिकारी/कर्मी को उपलब्ध कराया जाना होगा एवं इस संख्या को पदाधिकारी/कर्मी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा,

2.5 उक्त संख्या के प्रविष्ट होते ही ट्रक में लदें उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच चौकी पर इसके सत्यापन के उपरांत ट्रक

को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जायेगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा। जाँच की इस प्रक्रिया में सामान्यतः औसतन 1 से 2 मिनट का समय लगेगा,

2.6 जाँच चौकी के उपरांत मार्गस्थ किसी जाँच दल द्वारा भी इसकी जाँच ऑन–लाईन की जा सकती है एवं उस परिस्थिती में चालक द्वारा पूर्व की ही भाँति 16 अंको की विशिष्ट पहचान संख्या ही उपलब्ध करवाई जानी है एवं ऐसे में सम्प्रेषण के ब्यौरे के अतिरिक्त जाँच दल को स्क्रीन पर यह सूचना भी उपलब्ध होगी कि इस ट्रक का परीक्षण जाँच चौकी पर हो चुकी है,

2.7 राज्य में प्रविष्टी जाँच चौकी से दाखिल होने के 72 घंटों के अंदर उक्त सम्प्रेषण को राज्य के निकासी जाँच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जाँच चौकी पर तैनात जाँच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध होगी कि उक्त पहचान संख्या से संबंधित ट्रक राज्य में कब दाखिल हुआ था। 72 घंटो से अधिक की अवधि व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्प्रेषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा सकेगी,

2.8 ज्ञातब्य है कि कम्प्यूटर में प्रविष्ट होने के पश्चात् उक्त पहचना संख्या का विवरण सिस्टम में अंकित हो जायेगा ताकि इसका दुरूपयोग नहीं हो सके,

3. इस पत्र में दिए गए निदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किये जायें।

4. यह आदेश दिनांक **16 जुलाई, 2012** के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 558-571+500-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**